न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 47/2024

सेवाराम पुत्र गोरधनलाल जाति कुमावत निवासी आसलपुर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र स्व0 कजोड
2. रामफूल पुत्र स्व0 कजोड
3. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 कजोड
4. मोहन पुत्र स्व0 कजोड
5. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 कजोड

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

6. कमलादेवी पुत्री गोरधनलाल
7. गंगाराम पुत्र गोपाल
8. गिरधारी लाल पुत्र छोटेलाल
9. गोपाल पुत्र हरदेवा

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

10. गोपाललाल पुत्र सूज़ाराम जाति कुमावत नि0 दहमीकलां, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
11. गोविन्दराम पुत्र गोपाल
12. छगनलाल पुत्र गोरधनलाल
13. जगदीश पुत्र सूजा
14. जगदीश प्रसाद पुत्र गोपाल
15. तीजादेवी पुत्री गोपाल
16. दयाराम पुत्र हरदेवा
17. सीतादेवी पत्नि स्व0 नन्दलाल
18. छीतर पुत्र स्व0 नन्दलाल
19. कानाराम पुत्र स्व0 नन्दलाल
20. विमला पुत्री स्व0 नन्दलाल
21. सुशीला पुत्री स्व0 नन्दलाल
22. गंगा पुत्री स्व0 नन्दलाल
23. जमुना पुत्री स्व0 नन्दलाल
24. सन्तरा पुत्री स्व0 नन्दलाल

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

25. पूरण पुत्र हरदेवा
26. प्रेम पुत्री गोरधनलाल
27. मंगली देवी पत्नि गोपाल
समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।
28. मंजूदेवी पत्नि सुभाष पारीक जाति पारीक ब्राहमण निवासी प्लॉट न0 11, कमला नगर चोरडिया पेट्रोल पम्प के पास सांगानेर जयपुर।
29. नाथी पत्नि स्व0 राजू
30. शीशपाल पुत्र स्व0 राजू
31. टिंकू पुत्र स्व0 राजू
32. पूजा पुत्री स्व0 राजू
33. आरजी पुत्री स्व0 राजू
34. रामलाल पुत्र गोरधनलाल
35. रामेश्वर पुत्र हरदेवा
36. रामेश्वरी देवी पुत्री गोपाल
समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।
37. लक्ष्मी देवी पत्नि भंवरलाल जाति कुमावत नि0पुराना किला सांभर लेक तहसील फुलेरा मु0 सांभर लेक जिला जयपुर।
38. विमला देवी पुत्री गोरधनलाल
39. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिनारायण
समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।
40. ए0यू0 स्मॉल फाईनेन्स शाखा जोबनेर जिला जयपुर।
41. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
42. उप–पंजियक तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामावतार सिंह अधिवक्ता वादी

दिनांक :– 23/04/2025

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 नया 616 के खसरा नं0 842 रकबा 1.4542 है0 वाकै ग्राम आसलपुर, पटवार हल्का आसलपुर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आसलपुर, तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त आराजीयात में वादी सं01 का हिस्सा 407/4416 हिस्सा है जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है व प्रतिवादीगण सं01 लगा0 5 के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

पिता कजोड पुत्र हुवगा की मृत्यु हो चुकी है जिनका हिस्सा 1/16 जमाबंदी मे दर्ज व अंकित है। प्रतिवादीगण सं08 का हिस्सा जमाबंदी मे 181/1472 दर्ज व अंकित है। जमाबंदी मे दर्ज खातेदार नन्दलाल पुत्र हरला की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण सं0 17 लगा024 है जिनका संयुक्त हिस्सा 1/23 है। खातेदार राजू पुत्र हरदेवा की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण सं0 29 लगा0 33 है जिनका संयुक्त हिस्सा 1/14 है व अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार दर्ज व अंकित है। वादी अपने दर्ज हिस्से की भूमि पर बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त है व तथा पुर्वजो के समय से ही सहमति के आधार पर आपस मे बटवारा कर अपनी अपनी आराजीयात मे अपने अपने हिस्से पर काविज काश्त है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्से मे आई भूमि पर तारवंदी कर कृषि कार्य हेतु मकानात, कुएं, विजली कनेक्शन, पेड–पौधे लगाकर भूमि को विकसित कर ली है। वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगा0 39 की संयुक्त आराजीयात का का विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है। वादी ने दिनांक 01/05/2024 को प्रतिवादी सं01 ल0 39 को उक्त अराजियात का मौके कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण 1 ल0 39 ने साफ इंकार कर दिया। वादी मौके कब्जे व हिस्से के अनुसार उक्त आराजियात का विभाजन करवाना चाहता है। ताकि पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन नही है विभाजन नही होने की वजह से पक्षकारो के मध्य आये दिन सीवमेर का विवाद होता रहता है। जिसकी वजह से पक्षकारो के मध्य आपसी मनमुटाव व झगडा विवाद होने की संभावना रहती है। इसलिए वादी को यह वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण 1ल0 39 वाद बाबत विभाजन को डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नं01 मे वर्णित आराजियात खाता सं0 616 की आराजी खसरा नं0 842 रकवा 1.4542 है0 जो वाकै ग्राम आसलपुर का मौके कब्जे के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1ल0 39 के मध्य विभाजन किया जाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर दावा अंतिम डिक्री फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 42 वावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की तलबी जरिए अखवार साया दिनांक 22.11.2024 को की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वहस वकील वादी सुनी गयी। दौराने वहस वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 का अवलोकन किया। वादी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वर्णित ख0न0 842 रकबा 1.4542 है0 वाकै ग्राम आरालपुर तहसील जोबनेर को दिनांक 20/12/2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.12.2024 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 04.04.2025 को कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत किये गये।

बहस अधिवक्ता वादी कुरेजात सुनी गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी का वाद दिनांक 04.04.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 04.04.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 04.04.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम आरालपुर

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	
1	गोपाललाल पुत्र सुजाराम हि. 1/2 जाति कुमावत सा.दहमीकलां तह0 सांगानेर साहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) एयू स्माल फाईनेंस बैंक लि0 जोबनेर सेवाराम पुत्र गोरधनलाल हि. 1/2 जाति कुमावत सा.देह साहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) एयू स्माल फाईनेंस बैंक लि0 जोबनेर खातेदार	B /842	0.2529	चाही 1 (0.2529)	
	योग	किता–1	0.2529		
2	आरती पुत्री राजू हि. 208/12013, कजोड़ पुत्र हुक्मा हि. 909/12013, कमलादेवी पुत्री गोरधनलाल हि. 75/12013, गंगाराम पुत्र गोपाल हि0. 38/12013, गिरधारीलाल पुत्र छोटेलाल हि. 1334/12013, गोपाल पुत्र हरदेवा हि. 1039/12013, गोविन्दराम पुत्र गोपाल हि. 38/12013, छगनलाल पुत्र गोरधनलाल हि. 75/12013, जगदीश पुत्र सुजा हि. 1039/12013, जगदीश प्रसाद पुत्र गोपाल हि. 38/12013, टिंकू पुत्र राजू हि. 208/12013, तीजादेवी पुत्री गोपाल हि. 38/12013, दयाराम पुत्र हरदेवा हि. 1039/12013, नन्दलाल पुत्र हरला हि. 455/12013, नाथी देवी पत्नि राजू हि. 208/12013, पूजा पुत्री राजू हि. 208/12013, पूरण पुत्र हरदेवा हि. 1039/12013, प्रेम पुत्री गोरधनलाल हि. 75/12013, मंगली देवी पत्नि गोपाल हि. 38/12013, रामलाल पुत्र गोरधनलाल हि.	A/842 C/842	0.9813 0.2200	जाय–1 (0.2529) बारानी A (0.7284) बारानी A (0.2200)	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

	75/12013, रामेश्वर पुत्र हरदेवा हि. 1039/12013, रामेश्वरी देवी पुत्री गोपाल हि. 38/12013, विमला देवी पुत्री गोरधनलाल हि. 75/12013, शिशपाल पुत्र राजू हि. 208/12013, सेवाराम पुत्र गोरधनलाल हि. 75/12013 जाति समस्त कुम्हार (प्रजापति) सा.देह गिरधारीलाल पुत्र छोटेलाल हि. 455/12013, सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरिनारायण हि. 596/12013, जाति कुमावत सा. देह मंजूदेवी पत्नि सुभाष पारीक हि. 909/12013, जाति पारीक सा. प्लाट नं. 11 कमलानगर चोरडिया पेट्रोल पम्प के पास सांगानेर, लक्ष्मीदेवी पत्नि भंवरलाल हि. 442/12013, जाति कुमावत सा. पुराना किला सांभरलेक खातेदार					
	योग	किता–2	1.2013			

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताविक डिक्री कुरेजात दिनांक 04.04.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 04.04.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर